



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062026-273544
CG-DL-E-17062026-273544

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948

No. 434]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

सा.का.नि. 485(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेलवे को चालू करने संबंधी (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए चालू करने) संशोधन नियम, 2026 है।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेलवे को चालू करने संबंधी (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए चालू करने) नियम, 2000 में, अध्याय-VII में, नियम 24 में, उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(3) किसी भी लंबाई की प्रत्येक अस्थायी विचलन लाइन और 3 कि.मी. से कम लंबे कोई भी स्थायी मार्ग परिवर्तन, नए छोटे निर्माण कार्य माना जाएगा,”

[फा. सं. 70/डब्ल्यू डी ओ/ओ आर आई/आर ओ/1/वॉल्यूम. X]

विवेक कुमार गुप्ता, सदस्य अवसरचना और पदेन सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में संख्यांक सा.का.नि. 625(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गये थे और अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि. 451 (अ), 7 जुलाई, 2025 द्वारा संशोधित किए गये थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2026

G.S.R. 485(E).— In exercise of the powers conferred by section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Rules, 2000, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Amendment Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Rules, 2000, in Chapter VII, in rule 24, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(3) Every temporary deviation line, irrespective of its length, and any permanent diversion less than 3 kilometers in length, shall be treated as new minor works.”,

[F. No. 70/WDO/ORI/RO/1/Vol. X]

VIVEK KUMAR GUPTA, Member Infrastructure and Ex-Officio Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 625(E), dated the 21st July, 2000 and was last amended vide number G.S.R. 451(E), dated the 07th July, 2025.